Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

From:- **Manoj Kumar Garg**
Chairman
Ref. No. BCR/Ju/2014/2194

Dated 09.04. 2014

परम सम्माननीय अध्यक्ष/सचिव महोदय,

मैं आपका ध्यान मेरे पूर्व पत्र दिनांक 08.01.2014 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें आपको विदित किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान बार कौन्सिल की हर बार एसोसिएशन में एक अच्छा पुस्तकालय होने की मांग को स्वीकार करते हुए बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान से मान्यता प्राप्त हर बार ऐसोसिएशन को पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राजस्थान बार कौन्सिल से मान्यता प्राप्त बार ऐसोसिएशन की संख्या 203 है तथा इन सभी बार एसोसिशन को राजस्थान सरकार द्वारा रू0 3.94 लाख (प्रत्येक बार एसोसिएशन को) की राशि स्वीकृत की गयी है।

पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलक्टर के प्रतिनिधि, लोक अभियोजक, संबंधित बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को सम्मिलित करते हुए चार सदस्यीय समिति बनायी गयी है। इस समिति के समन्वयक जिला कलक्टर के प्रतिनिधि होगें। उपरोक्त चार सदस्यीय समिति प्रत्येक बार एसोसिएशन के स्तर पर पुस्ताकलय कक्ष तैयार करने की कार्य योजना तैयार कर आवश्यक निर्णय करेगी तथा समस्त कार्य आदेश जिला कलक्टर द्वारा दिये जावेंगें तथा पुस्तकालय की सुविधा योजनातंर्गत निम्नांकित कार्य संपादित किये जा सकेगें–

1. पुस्तकालय कक्ष का निर्माण।
2. पुस्तक क्रय।
3. डिजिटल पुस्तकें क्रय।
4. रैक्स, आलमारियां, कूलर, तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर जैसे कुर्सी टेबल आदि का क्रय।

Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

From:- **Manoj Kumar Garg**
Chairman

सरकार द्वारा यह पैसा प्रत्येक जिला कलक्टर के पास स्थानांतरित कर दिया गया है।

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को इस संदर्भ में राज्य की कुछ बार संघो से ऐसे पत्र प्राप्त हुए है, जिसमें सम्बन्धित जिला कलक्टर महोदय द्वारा फण्ड की राशि दिनांक 31.03.2014 तक जारी न करने का उल्लेख किया गया था। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था। उसी क्रम में, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 28.03.2014 को राज्य के समस्त जिलाधिशो को एक पत्र लिखकर निर्वाचन विभाग के पत्र दिनांक 27.03.2014 का उल्लेख करते हुए व अनापति प्रमाण पत्र जारी करते हुए वांछित कार्यवाही करने हेतु कहा गया है। पत्र की प्रति साथ संलग्न है।

अतः आपसे पुनः निवदेन है कि आप अपने संबंधित जिला कलक्टर महोदय से शीघ्र संपर्क कर समिति बनाकर शीघ्र से शीघ्र इस योजना के तहत आगे की कार्यवाही संपादित करें, जिससे की आप सभी अधिवक्ताओं को पुस्तकालय की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

सादर,

भवदीय,

(मनोज कुमार गर्ग)
अध्यक्ष
बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान